न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 05 / 2017

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2017 / 00083

प्रार्थीया

1 कलुदेवी पुत्री रूपाजी
पत्नी अमराजी, कौम–कलबी
निवासी–भड़वल, तहसील व जिला
सांचौर (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी

ग्राम पंचायत भड़वल जरिये
सरपंच ग्राम पंचायत भड़वल
तहसील व जिला–सांचौर
(राजस्थान)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

तारीख रजु :– 13.10.2017

1. प्रार्थीया की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक पुरोहित व प्रकाशचन्द्र पुरोहित उपस्थित।
2. अप्रार्थी बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 26.07.2024

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना–पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भड़वल में खेत खसरा संख्या 735 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 736 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा संख्या 737 रकबा 4.02 हैक्टेयर की आयी हुई है। उक्त खेतों में जाने के लिए रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। उक्त खेतों में जाने हेतु अप्रार्थी के नाम दर्ज खातेदारी खेत ग्राम भड़वल के खसरा संख्या 751 रकबा 11.00 हैक्टेयर में से 0.05 हैक्टेयर रास्ते हेतु आवश्कता है उक्त खातेदारी के खेतों में आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता वर्तमान में मौके पर चालु है परन्तु राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है। जिसके राजनैतिक व स्थानीय विभिन्न कारणों से ग्राम पंचायत के सरपंच एवं अन्य वार्डपंच उक्त रास्ता को बंद करने की धमकी देते रहते है जबकि उक्त रास्ते का उपयोग एवं उपभोग पीढियों से करते आ रहे है। अतः उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाकर राजस्व रेकर्ड में रास्ता तरमीम हेतु तहसीलदार सांचौर को पृथक से तहरीर जारी फरमावें।

प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई। बहस एकपक्षीय सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपनी बहस में कथन किया कि (प्रार्थीया) के मौजा भड़वल में खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 735 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 736 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा संख्या 737 रकबा 4.02 हैक्टेयर की आई हुई है उक्त खातेदारी के खेतों में जाने हेतु अप्रार्थी के नाम दर्ज खातेदारी ग्राम भड़वल के खसरा संख्या 751 रकबा 11.00 हैक्टेयर में से 0.05 हैक्टेयर रास्ते हेतु मांग की है उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीया के खातेदारी खेतों में जाने के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है उक्त रास्ता वर्तमान में मौके पर चालू है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। जबकि उक्त रास्ते का उपयोग एवं उपभोग पीढियों से करते आ रहे है। अतः रास्ते

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.09.20 17:20:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमावे। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेजात् का एवं नजरी नक्शा परिशिष्ठ 'अ', जमाबंदी, नक्शा किस्तवार जमाबंदी संवत 2070–2073 का गहनता से अध्ययन कर अधिवक्ता प्रार्थीया की बहस पर मनन किया।

रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251'क' में कानुनी प्रावधान है :–

251'क' अन्य खातेदार की जो में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना विधमान मार्ग का विस्तार करना

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है।

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगें और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि –

(i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है –

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने का एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां [illegible] को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी [illegible] भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.09.20 17:20:33 IST
Reason: SelfAttested

(3) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251'ए' में यह आज्ञापक विधिक आवश्यकता है कि रास्ता इसी दशा में स्वीकृत किया जा सकता है जबकि इसकी आत्यांतिक आवश्यकता हो, साथ ही कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो।

प्रार्थीया द्वारा खसरा संख्या 735 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 736 रकबा 0.03 हैक्टेयर व खसरा संख्या 737 रकबा 4.02 हैक्टेयर के आवागमन हेतु आवेदित रास्ता जिसकी मांग खसरा संख्या 751 रकबा 11.00 हैक्टेयर में से की गई है। प्रस्तावित मार्ग के नजरी नक्शे एवं जमाबंदी के अनुसार खसरा संख्या 751 किस्म बारानी प्रथम गौचर ग्राम पंचायत भड़वल के खाते में दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में चारागाह/गौचर भूमि को उस श्रेणी में रखा गया है जिस पर खातेदारी अधिकार प्राद्भूत नहीं हो सकते है। चारागाह भूमि के वर्गीकरण परिवर्तन के संबंध में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 7 के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के गुलाब कोठारी मामले के निर्णय तथा समय–समय पर ए.जी. तथा ए.ए.जी. महोदय की राय के आधार पर जारी निर्देशानुसार 1 अपवादी परिस्थितियों 2 लोकहित प्रयोजनार्थ 3 भूमि की अनुपलब्धता होने, उपरोक्त तीनों शर्तो की पूर्ति होने के पश्चात ही चारागाह भूमि एवं प्रतिबंधित भूमियों के वर्गीकरण परिवर्तन आंवटन एवं नियमन पर विचार किया जा सकता है। अतः निजी खातेदार को केवल सुविधा के आधार पर आवश्यक पहुंच मार्ग दिया जाना विधिसम्मत नहीं है। प्रार्थीया ने स्वयं के प्रार्थना–पत्र में कथन किया है कि उक्त रास्ते की भूमि से प्रार्थीया पीढ़ियों से आवागमन करता है अतएव स्पष्ट है कि प्रार्थीया के पास सामुदायिक उपयोग की भूमि से रास्ते का विकल्प पूर्व से ही उपलब्ध है। इस प्रकार रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता नहीं होकर केवल सुविधा हेतु मार्ग चाहा गया है। प्रार्थीया का पहुंच मार्ग ग्राम पंचायत भडवल के खाते की भूमि बारानी प्रथम गौचर से होकर है, उक्त भूमि सामुदायिक उपयोग की भूमि है, जिस पर कोई व्यक्ति बाधा कारित नहीं कर सकता है, अतएव प्रार्थीया द्वारा चाहे गए मार्ग की भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की होने से एवं पूर्व से मार्ग की उपलब्धता एवं आत्यांतिक आवश्यकता साबित नहीं होने से उक्त प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।

:– आदेश :–

परिणामस्वरूपः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 251'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पूर्व से मार्ग की उपलब्धता, वैकल्पिक मार्ग, आत्यांतिक आवश्यकता की श्रेणी में नहीं होने एवं प्रतिबंधित श्रेणी [illegible] से संबंधित होने से बखूबी साबित नहीं होने तथा सारवान नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.09.20 17:20:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner